

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

क्रमांक 5-12/2022/29-2, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 20.10.2022

विज्ञप्ति

08 जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष के रिक्त पद की पूर्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से निर्धारित मापदण्ड अनुसार नहीं पाये गये आवेदन पत्रों पर दावा आपत्ति के संबंध में।

जिला उपभोक्ता आयोग रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, धमतरी, कोरबा, जांजगीर-चांपा, बस्तर, में अध्यक्ष के रिक्त पद की पूर्ति हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कराकर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिये अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2020 के प्रावधान एवं चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया-अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों की स्कूटनी में निम्न अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निर्धारित मापदण्ड अनुसार नहीं पाये गये हैं।

निर्धारित मापदण्ड अनुसार नहीं पाये गये आवेदन पत्रों का विवरण छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की वेबसाइट <http://www.cgscdrc.cg.nic.in> तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाइट <https://khadya.cg.nic.in> पर अपलोड किया गया है। निर्धारित मापदण्ड अनुसार नहीं पाये गये आवेदन पत्रों पर दावा आपत्ति रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पंडरी रायपुर को दिनांक 31 अक्टूबर 2022, कार्यालयीन समय तक प्रेषित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।



निर्धारित मापदण्ड अनुसार नही पाये गये आवेदन पत्रों पर दावा आपत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2022, कार्यालयीन समय तक प्रेषित किया जा सकता है।

क्र	जिले का नाम जहाँ अध्यक्ष पद हेतु आवेदन किया गया है।	आवेदक का नाम	निर्धारित मापदंड अनुसार नही पाए जाने के कारण
1	बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, धमतरी, कोरबा, जांजगीर-चांपा, बस्तर	मो शकील खान,	निर्धारित मापदंड अनुसार नही पाए जाने के कारण। न्यायिक सेवा में कार्य करने के संबंध में कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं है।
2	रायपुर	श्री गिरीश श्रीवास्तव,	निर्धारित मापदंड अनुसार नही पाए जाने के कारण। 1. विज्ञापन जारी होने के तिथि तक 07 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता रहा हो का दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है। 2. वर्तमान में जिला उपभोक्ता आयोग महासमुंद में सदस्य है 3. माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका (s) 42/2021 आदेश दिनांक 01.02.2022 के अनुसार भी अपात्र है।
3	बिलासपुर कोरबा, जांजगीर-चांपा	श्री सुरेश कुमार सिंह,	निर्धारित मापदंड अनुसार नही पाए जाने के कारण। 1. विज्ञापन जारी होने के तिथि तक 07 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता रहा हो का दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है। 2. माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका (s) 42/2021 आदेश दिनांक 01.02.2022 के अनुसार अपात्र।
4	बिलासपुर, रायपुर, जांजगीर-चांपा, दुर्ग	श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय,	निर्धारित मापदंड अनुसार नही पाए जाने के कारण। विज्ञापन जारी होने की तिथि तक 07 वर्ष लगातार अधिवक्ता रहने के संबंध में जिला न्यायाधीश द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न नहीं है।
5	बिलासपुर	श्री अरुण प्रकाश पाठक,	निर्धारित मापदंड अनुसार नही पाए जाने के कारण। विज्ञापन जारी होने की तिथि तक 07 वर्ष लगातार विधि व्यवसाय के संबंध में जारी प्रमाण पत्र स्पष्ट नहीं है।
6	बिलासपुर, कोरबा	श्री राजेन्द्र कुमार वारले,	निर्धारित मापदंड अनुसार नही पाए जाने के कारण। विज्ञापन जारी होने की तिथि तक 07 वर्ष लगातार अधिवक्ता रहने के संबंध में जिला न्यायाधीश द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
7	दुर्ग	श्री भूलन ठाकुर,	निर्धारित मापदंड अनुसार नही पाए जाने के कारण। विज्ञापन जारी होने की तिथि तक 07 वर्ष लगातार विधि व्यवसाय के संबंध में जारी प्रमाण पत्र स्पष्ट नहीं है।

Handwritten signature

8	दुर्ग	श्रीमती शशि सोनी,	निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाए जाने के कारण। श्रम न्यायाधीश से अनिवार्य सेवानिवृत्त। विज्ञापन जारी होने की तिथि तक 07 वर्ष लगातार विधि व्यवसाय के संबंध में जिला न्यायाधीश द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
9	सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर, कोरबा, धमतरी, बस्तर, रायपुर	श्री रमाकान्त दीक्षित,	निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाए जाने के कारण। वर्तमान में जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य। विज्ञापन जारी होने की तिथि तक 07 वर्ष लगातार अधिवक्ता रहने के संबंध में जिला न्यायाधीश का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं है।
10	धमतरी, अंबिकापुर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा	श्रीमती टी.दुर्गा ज्योति राव,	निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाए जाने के कारण। 1. विज्ञापन जारी होने के तिथि तक 07 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता रहा हो का दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है। 2. वर्तमान में जिला उपभोक्ता आयोग महासमुंद में सदस्य है। 3. माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका (s) 42/2021 आदेश दिनांक 01.02.2022 के अनुसार भी अपात्र।
11	धमतरी जांजगीर-चांपा	श्रीमती प्रिया अग्रवाल,	निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाए जाने के कारण। 1. विज्ञापन जारी होने के तिथि तक 07 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता रहा हो का दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है। 2. वर्तमान में जिला उपभोक्ता आयोग रायपुर में सदस्य है। 3. माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका (s) 42/2021 आदेश दिनांक 01.02.2022 के अनुसार भी अपात्र।
12	कोरबा	श्रीमती पूनम पटेल तिवारी,	निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाए जाने के कारण। विज्ञापन जारी होने की तिथि तक 07 वर्ष लगातार अधिवक्ता रहने के संबंध में जिला न्यायाधीश द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
13	कोरबा, जांजगीर, धमतरी, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर	श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,	निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाए जाने के कारण। विज्ञापन जारी होने की तिथि तक 07 वर्ष लगातार अधिवक्ता रहने के संबंध में जिला न्यायाधीश द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। वर्तमान में किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य।



14	बस्तर	श्री संग्राम सिंह भुवाल,	निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाए जाने के कारण। 1. विज्ञापन जारी होने के तिथि तक 07 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता रहा हो का दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है। 2. वर्तमान में जिला उपभोक्ता आयोग रायपुर में सदस्य है। 3. माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका () 42/2021 आदेश दिनांक 01.02.2022 के अनुसार भी अपात्र।
15	बस्तर	श्री शैलेश दुबे,	निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाए जाने के कारण। विज्ञापन जारी होने की तिथि तक 07 वर्ष लगातार अधिवक्ता रहने के संबंध में दस्तावेज नहीं।
16	सरगुजा	श्रीमती सरिता पाण्डेय,	निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाए जाने के कारण। विज्ञापन जारी होने की तिथि तक 07 वर्ष लगातार अधिवक्ता रहने के संबंध में दस्तावेज नहीं।

(नीलम पदुम एल्मा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग